अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चौहटन, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी	–	श्री विजय कुमार (आर.जे.एस)
आपराधिक मूल प्रकरण संख्या	–	343/2025
सीआईएस संख्या	–	5640/2013
सीएनआर नं.	–	RJBM09-000154-2013

राजस्थान राज्य

बनाम

1. हाकमराम पुत्र आंबाराम, उम्र 32 वर्ष, निवसी धनाउ, पुलिस थाना धनाउ, जिला बाड़मेर।
2. जोगाराम पुत्र जीवणाराम, उम्र 45 वर्ष, निवासी केकड़, पुलिस थाना सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. नगाराम पुत्र धर्माराम, उम्र 32 वर्ष, निवासी नवातला राठौड़ान, हाल सारणों की ढाणी, पुलिस थाना धनाउ, जिला बाड़मेर।

...........अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दंड संहिता

(13 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण)

उपस्थिति –

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल गोदारा, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक 21.07.2026**

1. सर्वप्रथम यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह प्रकरण श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर के आदेश द्वारा श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहटन के न्यायालय से स्थानांतरण रीति से अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिसका बाद सुनवाई आज इस निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री किशनाराम ने दिनांक 13.11.2013 को संबंधित पुलिस थाने में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि धनाउ कस्बे में बी.एस.एन.एल टावर के पास उनकी माता मघी देवी पत्नी जोराराम

के नाम पर एक रहवासी कमरा और दो दुकानें बनी हुई हैं, जिनमें से एक दुकान में किराणे का सामान तथा दूसरी दुकान में दलहन, बाजरा आदि अनाज का व्यापार किया जाता है, जहां हमेशा की भांति दिनांक 23.10.2013 को शाम 07:00 बजे दुकानों को सुरक्षित बंद करके प्रार्थी अपने पैतृक गांव सारणों की नाड़ी नवातला राठौड़ान चला गया था, जिसके बाद सूनी रात का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने प्रार्थी की किराणे दुकान के गल्ले में से 9,500/–नकद चुरा लिए तथा साथ ही दुकान में रखा भारी मात्रा में कीमती व्यावसायिक सामान भी चोरी कर ले गए, जिसमें 13 कट्टे चावल, 1 पेटी गुड़ा, 50 पैकेट जाफरी, 20 पैकेट गणेश जर्दा, 1 टिन 15 किलोग्राम देसी घी, 2 टुकड़ा सिगरेट, 10 पैकेट मिराज, 5000 पीस देसाई बीड़ी, 2 कार्टून खाने का तेल, 1 पेटी नहाने/धोनेका साबुन, 30 किलोग्राम का 1 कट्टा चायपत्ती, 1 काट्टून बिस्कूट, 20 पैकेट नमकीन तथा 10 पैकेट सुपारी आदि शामिल थे, और इस प्रकार अज्ञात चोरों द्वारा खिड़की तोड़कर ले गए, इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना चौहटन द्वारा अंतर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा नंबर 247/2013 दर्ज किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण हाकमराम, जोगाराम व नगाराम के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दंड संहिता के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् अभियुक्तगण को उक्त धाराओं 457, 380 आईपीसी का आरोप पृथक से विरचित कर सरे इजलास सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ की गई।

4. अभयोजन पक्ष द्वारा निम्न सूची अनुसार मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए हैं।

–:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::–

साक्षी का क्रम	**साक्षी का नाम**	**संक्षिप्त विवरण/साक्षी की भूमिका**
पीडब्लू–1	प्रागाराम	स्वतंत्र गवाह/मौका व जब्ती तस्दीक
पीडब्लू–2	किशनाराम	पीड़ित/मुख्य परिवादी

पीडब्लू–3	बींजराजसिंह	रिकवरी गवाह
पीडब्लू–4	करनाराम	स्थानीय गवाह
पीडब्लू–5	हीराराम	स्वतंत्र गवाह
पीडब्लू–6	दुर्जनसिंह	रिकवरी एवं गिरफ्तारी गवाह
पीडब्लू–7	मूलाराम	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्लू–8	मैशराम	स्वतंत्र गवाह
पीडब्लू–9	मूडाराम	स्थानीय दुकानदार/स्वतंत्र गवाह
पीडब्लू–10	जगदीश प्रसाद	अनुसंधान अधिकारी

5. प्रकरण में सभी गवाहान के बयान लेखबद्ध किए जाकर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

–:: <u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची</u> ::–

प्रदर्श संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**साबितकर्ता**
प्रदर्श पी–1	नक्शा मौका फर्द घटनास्थल	पीडब्लू–1,2,10
प्रदर्श पी–2	फर्द जब्ती चाय पत्ती, बीड़ी,वॉशिंग पाउडर	पीडब्लू–1,8
प्रदर्श पी–3	फर्द जब्ती तेल के टीन, सिगरेट, बीड़ी	पीडब्लू–1,8
प्रदर्श पी–4	फर्द जब्ती घी, साबुन व बीड़ी बंडल	पीडब्लू–1,8
प्रदर्श पी–5	नक्शा मौका बरामदगी स्थल – हाकमराम	पीडब्लू–1,8
प्रदर्श पी–6	नक्शा मौका बरामदगी स्थल – नगाराम	पीडब्लू–1,8
प्रदर्श पी–7	नक्शा मौका बरामदगी स्थल – जोगाराम	पीडब्लू–1,8
प्रदर्श पी–8	लिखित रिपोर्ट	पीडब्लू–2,10
प्रदर्श पी–9	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम हाकमराम	पीडब्लू–3,6,10
प्रदर्श पी–10	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम नगाराम	पीडब्लू–3,6,10
प्रदर्श पी–11	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम जोगाराम	पीडब्लू–3,6,10

प्रदर्श पी–12	फर्द जब्ती वाहन पिकअप RJ 04 GA 1478	पीडब्लू–3,6
प्रदर्श पी–13	फर्द बरामदगी लोहे का सरिया नगाराम	पीडब्लू–3,6
प्रदर्श पी–14	पुलिस बयान करनाराम	पीडब्लू–4
प्रदर्श पी–15	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम जोगाराम	पीडब्लू–7,10
प्रदर्श पी–16	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम हाकमराम	पीडब्लू–7,10
प्रदर्श पी–17	फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम नगाराम	पीडब्लू–7,10
प्रदर्श पी–18	फर्द जब्ती वाहन पिकअप गाड़ी	पीडब्लू–7
प्रदर्श पी–19	पर्चा एफआईआर नंबर 247/2013	पीडब्लू–10
प्रदर्श पी–20	धारा 27 सूचना मुल्जिम हाकमराम	पीडब्लू–10
प्रदर्श पी–21	धारा 27 सूचना मुल्जिम नगाराम	पीडब्लू–10
प्रदर्श पी–22	धारा 27 सूचना मुल्जिम जोगाराम	पीडब्लू–1

6. अभियोजन पक्ष की ओर से आई विपरीत साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं का निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बंद की गई।

7. दौरान बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि परिवादी से वकील मुल्जिम ने जिरह नहीं की है इसलिए उसकी मुख्य परीक्षा अपने आप में साबित है। पक्षद्रोही गवाहों ने भी अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अन्य गवाहों से भी मुल्जिम अधिवक्ता ने कोई जिरह नहीं की है। अभियोजन पक्ष के सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से पुष्टि की है। अभियुक्त के कब्जे से अन्य प्रकरण की गाड़ी भी बरामद हुई है जो हस्तगत प्रकरण की गाड़ी चोरी करने में प्रयुक्त की गई है। मुल्जिमान से चोरीशुदा किराने का सामान भी बरामद हुआ है जो मुल्जिमान के घरेलू इस्तेमाल का उनके द्वारा खरीद किया हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज मुल्जिमान ने पेश नहीं किया है। अपने बयान मुल्जिम में भी ऐसा कोई बचाव नहीं लिया है और ना ही कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश की है। इसलिए अभियोजन अपना मामला संदेह की सीमा

से परे साबित करने में सफल रहा है। अंत में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि एफआईआर 15 दिन की देरी से दर्ज कराई है जिसका कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है जो किराने का सामान बरामद किया गया है वह अभियुक्तगण के घरेलू इस्तेमाल का सामान था जिस पर परिवादी के दुकान का कोई मार्का नहीं था। अन्य प्रकरण में गिरफ्तार मुल्जिमों को फंसाने के उद्देश्य से यह झूठा प्रकरण बनाया गया है। अभियुक्तगण से जो माल बरामद होना बताया है उसका कोई निस्तारण आदेश पत्रावली पर मौजूद नहीं है। किसी भी गवाह ने मुल्जिमानों को चोरी करते हुए देखने की साक्ष्य नहीं दी है। परिवादी से अनुसंधान अधिकारी ने कोई सामान की शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं करवाई है। माल वजह सबूत न्यायालय में पेश नहीं किया है। प्रकरण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अन्य गवाह पुलिस पार्टी के गवाह हैं जो अपने उच्चाधिकारियों के कहने से गलत बयान दे रहे हैं। परिवादी से जिरह नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी साक्ष्य साबित है। अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह की सीमा से परे साबित करने में असफल रहा है। अंत में अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

9. सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों के तर्कों व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि:–

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 23.10.2013 की रात्रि को किसी समय पर सरहद मौजा धनाऊ में बीएसएनएल टावर के पास स्थित परिवादी किशनाराम की दुकान में चोरी के आशय से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार किया और प्रार्थी की सहमति के बिना उसके कब्जे से 9500 रुपये नकद तथा चावल के 3 कट्टे, गुड़ा 1 पेटी, जाफरी 50 पैकेट, जर्दा गणेश 20 पैकेट, घी 1 टिन 15 किलोग्राम, सिगरेट 2 टुकड़ा, मिराज 10 पैकेट, देसाई बीड़ी 5000, तेल कार्टन 2, साबुन पेटी 1, चाय कट्टा 30 किलोग्राम, बिस्कुट कार्टन 1, नमकीन 20 पैकेट, और सुपारी 10 पैकेट जैसी सभी चल संपत्ति को बेईमानीपूर्वक चोरी कर ले जाने का अपराध कारित किया?
2. यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

10. हस्तगत प्रकरण परिवादी किशनाराम के लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–08 के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें उसने अपने किराणे की दुकान में 23–10–2013 को रात्रि में किसी समय चोरों द्वारा किराने का सामान व रुपए चोरी कर ले जाना बताया है। जिसकी दिनांक 13–11–13 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसके संबंध में अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह एतराज रहा है कि एफआईआर 15 दिन की देरी से दर्ज कराई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया है। इस संबंध में प्रदर्श पी–08 लिखित रिपोर्ट के पुलिस पृष्ठांकन को अवलोकित किया जावे तो उसमें स्पष्ट वर्णित किया गया है कि उसकी कस्बा धनाउ में किराणे की दुकान है, इतने दिन पता करने में लग गए इसलिए रिपोर्ट आज पेश की है। जिसमें देरी का स्पष्ट कारण वर्णित किया हुआ है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि अभियुक्तगण ने परिवादी की दुकान में दिनांक 23–10–2013 का रात्रि के किसी समय अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार कर किराने का सामान व राशि चोरी की। इस संबंध में प्रकरण का सबसे प्रमुख गवाह परिवादी किशनाराम है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने परिवाद के ही कथनों को दोहराया है, जिसमें दिनांक 23–10–2013 की शाम 7:00 बजे परिवादी ने अपनी दुकान बंद कर घर जाना और सुबह वापस दुकान पर आकर देखने पर अपने किराणे की दुकान की खिड़की टूटी होना और दुकान के गल्ले में रखे 9,500/–रुपये व किराणे का सामान चुराकर ले जाना प्रकट किया है। परिवादी ने यह भी प्रकट किया कि उसका एक्सीडेंट हो जाने से उसे रिपोर्ट करने में देरी हो गई थी। बाद में उसने पता किया तो पता चला कि हाकम, जोगा व नगाराम ने उसकी दुकान की खिड़की तोड़कर रात्रि में पैसे व सामान चोरी किए। यह प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण गवाह था, जिससे अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अवसर दिए जाने के बावजूद कोई जिरह नहीं की। साथ ही अधिवक्ता अभियुक्तगण ने परिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध होने के बाद आज दिनांक तक ऐसा कोई आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिसमें परिवादी को जिरह हेतु पुनः बुलाए जाने का निवेदन किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि जिन प्रकरणों में गवाह से जिरह नहीं होती है वहां उनकी मुख्य परीक्षा स्वयं में प्रमाणित मानी जाएगी। लेकिन तब जबकि ऐसे मामलों में अधिवक्ता को उक्त गवाह से जिरह करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ हो। हस्तगत प्रकरण में परिवादी से अवसर के बाद भी जिरह नहीं करना स्वयं में मुख्य परीक्षा की और अपराध की

स्वीकारोक्ति है। गवाह पीडब्ल्यू 01 प्रागाराम हालांकि प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 14–11–2013 को किशनाराम की दुकान में चोरी होने का मौका देखकर पुलिस में मौका फर्द प्रदर्श पी एक तैयार कर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। पुलिस ने उसके सामने किराने का सामान जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 से 4 बनाकर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। सामान किसके कब्जे से बरामद किया था उसे याद नहीं। इस गवाह ने मुख्य परीक्षा में सामान किसके कब्जे से बरामद किया था यह याद नहीं होना बताया है, नाकि मुलजिमान के कब्जे से बरामद ही नहीं होना बताया हो। एपीओ की जिरह में इस गवाह ने सभी सुझावात्मक प्रश्नों को स्वीकार करते हुए अपने सामने पुलिस द्वारा हाकम, नगाराम व जोगाराम के कब्जे से जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 से प्रदर्श पी–4 व उनके बरामदगी स्थल के नक्शे प्रदर्श पी–5 से प्रदर्श पी–7 प्रमाणित किया है, जिससे भी अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अवसर देने के बावजूद भी कोई जिरह नहीं की है। गवाह पीडब्ल्यु 08 भैराराम जो फर्द जब्ती का गवाह है, उसने भी अपनी मुख्य परीक्षा में मुलजिमान हाकम, नगाराम व जोगाराम से चोरीशुदा सामान की जब्ती व बरामदगी स्थल के नक्शे प्रदर्श पी–2 से 6 को प्रमाणित किया है। इस गवाह से जो जिरह की गई उसका अवलोकन किया जाए तो इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसके हस्ताक्षर थाने में करवाए थे। फिर स्पष्ट किया कि मौके पर करवाए थे। पुलिस ने उसके सामने किस वार तिथि को मौका देखा आज जानकारी नहीं है। यह भी स्वीकार किया कि तेल का टीन या दो किलो घी, सिगरेट पैकेट 30 नग बीड़ी के बंडल प्राय हर घर में मिल सकते हैं। यह भी स्वीकार किया कि उक्त बरामदशुदा सामान किसी भी किराने की दुकान पर मिल सकता है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि सभी जप्तशुदा सामान पर परिवादी दुकान का कोई मार्का या नाम मुद्रित नहीं था। निश्चित तौर पर जप्तशुदा सामान जैसा सामान आम घरों व किराने की दुकानों में मिल जाता है और यह भी सही है कि जप्तशुदा माल पर कोई मार्का या नाम परिवादी की दुकान का अंकित नहीं है लेकिन यह कदापि संभव नहीं है कि कोई भी दुकानदार अपने प्रत्येक माल या सामान पर अपना नाम या दुकान का नाम या कोई मार्का अंकित करें। इस गवाह से जो जिरह की गई है उससे यह कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के कब्जे से कोई जब्ती नहीं की गई हो। गवाह पीडब्लू 07 मूलाराम जो मुलजिमान की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 15 से प्रदर्श पी 17 व फर्द जब्ती गाड़ी नंबर आरजे. 04 जी 1476 प्रदर्श पी 18 का गवाह

है, ने उक्त गाड़ी नगाराम के रहवासी मकान के आगे से जब्त करना बताया है। इस गवाह ने जिरह में स्वीकार किया कि उक्त गाड़ी खुले स्थान पर खड़ी थी। यह भी स्वीकार किया कि इस प्रकरण में उसने न कोई जांच की और न ही कोई बरामदगी। वक्त गिरफ्तारी नगाराम को कहां से गिरफ्तार किया, आज उसे याद नहीं। इस गवाह की जिरह से भी उसकी मुख्य परीक्षा नासाबित नहीं होती है। जिरह में भी इस गवाह ने प्रदर्श पी–18 से जब्त गाड़ी को खुले स्थान से जब्त करना बताया है, जो प्रदर्श पी–18 में अन्य प्रकरण संख्या 204 अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 में मुलजिम नगाराम के घर के आगे से बरामद किया जाना अंकित है, जिसे पूर्व में जब्त होने के कारण ही इस प्रकरण में प्रदर्श पी–12 से जब्त किया गया है, जिसका कोई खंडन अधिवक्ता अभियुक्तगण ने नहीं किया है। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरीशुदा सामान जरिए प्रदर्श पी–2 से पी–4, उनकी फर्द इत्तला प्रदर्श पी–20 से 22 के माध्यम से जब्त किया गया है, जिनका बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी–5 से 7 है, जिसमें मुलजिम जोगाराम की ढाणी से जरिए प्रदर्श पी–4 घी, साबुन, बीड़ी के बंडल छोटे व बड़े मय मात्रा में अंकित बरामद हुए हैं। इसी प्रकार मुलजिम नगाराम के रहवासी घर के कमरे से जरिए प्रदर्श पी–3 व बरामदगी स्थल का नक्शा प्रदर्श पी–6 से महाकोश तेल का टीन, थंडर सिगरेट व बीड़ी के पैकेट बरामद हुए हैं। इसी प्रकार मुलजिम हाकम राम के घर के झोंपे से जरिए प्रदर्श पी–2 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 द्वारा सुंधा गोल्ड, देसाई बीड़ी छोटी–बड़ी व वाशिंग पाउडर के पैकेट मय मात्रा के अंकित बरामद हुए हैं। इतनी भारी मात्रा में बरामद सामान किसी भी व्यक्ति के घर में आमतौर पर मिलना संभव नहीं है, खासकर तब जबकि मुलजिमानों ने उक्त सामान स्वयं का होने के संबंध में और उक्त सामान को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के लिए कोई भी दस्तावेज, बिल आदि व सुपुर्दगी आवेदन पेश नहीं किया है। मुलजिम नगाराम के कब्जे से बरामद गाड़ी में से लोहे का लगिया भी बरामद किया गया है, जिसके द्वारा मुलजिम की दुकान की खिड़की को तोड़कर किराणे का सामान चोरी करना बताया गया है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी–1 घटना स्थल के नक्शे व हालात मौका से भी होती है। मुलजिमान की अन्य प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद दिए गए पूछताछ नोट में उक्त चोरी की पुष्टि होती है। मुलजिमान की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–9 से 11 है, जिसके गवाहान पीडब्ल्यू–3 बिंजराज सिंह व पीडब्ल्यू 06 दुर्जनसिंह ने भी स्पष्ट रूप से पुष्टि की है। उक्त दोनों ही गवाह अभियुक्त नगाराम से गाड़ी की जब्ती प्रदर्श पी 12 व

लगिए की जब्ती प्रदर्श पी 13 को भी प्रमाणित किया है। इन दोनों गवाहों से जो जिरह की गई है, उसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया गया है, जिससे इन गवाहों की मुख्य परीक्षा खंडित होती हो। इन दोनों ही गवाहों ने अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में स्पष्ट रूप से लगिए की लंबाई 02 फीट 09 सेंटीमीटर होना प्रमाणित किया है। और यह भी वर्णित किया है कि जब्तशुदा गाड़ी पूर्व से ही किसी अन्य मुकदमे में जब्तशुदा थी। गवाह पीडब्ल्यू 09 धूड़ाराम जो की परिवादी की दुकान का पड़ोसी है ने कथन किया कि वर्ष 2013 में जब वह सुबह दुकान आए तो देखा कि किशनाराम की दुकान का सामान कोई अज्ञात चोर आए और किराणे का सामान साबून, तेल इत्यादि चुराकर ले गए। हाकम, भगा व डुंगरा के बारे में उन्होंने सुना था कि इन्होंने चोरी की थी। जिस दिन चोरी हुई थी तब हमने सुना था कि ये लड़के दुकान के आस–पास घूम रहे थे। यह गवाह घटना का चक्षुदर्शी गवाह नहीं है और न ही इसने मुल्जिमानों को घूमते हुए देखा। यह गवाह केवल अनुश्रुत साक्षी है, जो सुनी–सुनाई बात ही अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह द्वारा अधिवक्ता मुल्जिम में बता रहा है, जिसने जिरह में स्वीकार किया कि कितना व क्या–क्या सामान चोरी हुआ उसे जानकारी नहीं है और उसने मुल्जिमानों को भी अपनी आंखों से घूमते नहीं देखा। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 10 जगदीश प्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने संपूर्ण अनुसंधान के बारे में स्पष्ट रूप से कथन कर परिवाद को प्रमाणित करते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया है। इस गवाह ने जिरह में कथन किया कि चोरी का माल जब्त करने के लिए वह स्वयं गया था। किस तारीख को गया था, तारीख व कितने बजे गया था समय आज याद नहीं है। इस बात से इंकार किया कि गवाहों के बयान उसने नहीं लिए हों। यह स्वीकार किया कि श्रीमान् जेएम साहब चौहटन के आदेश क्रमांक 672/4.7.15 इस पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अनुसंधान के संबंध में इस गवाह से कोई भी प्रश्न नहीं किया है। निश्चित तौर पर सुपुर्दगी आदेश 672 दिनांक 04/07/2015 इस पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिसके संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मूल पत्रावली के साथ न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना–पत्र पर किए गए आदेश को संलग्न न किया जाकर उसे विविध के रूप में दर्ज कर पश्चातवर्ती प्रक्रम पर रिकॉर्ड रूम में जमा करवा दिया जाता है। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा आई.ओ व जब्ती के गवाहन की साक्ष्य के दौरान माल पेश करने के संबंध में भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इसलिए अनुसंधान अधिकारी ने अपनी साक्ष्य से अनुसंधान को

प्रमाणित किया है। हालांकि गवाह पीडब्ल्यू–4 करणाराम प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने किशनाराम की दुकान में चोरी होना तो बताया है, लेकिन क्या सामान चोरी हुआ और किसने चोरी की, इसकी जानकारी भी नहीं होना बताया है। एपीओ की जिरह में भी इस गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–14 नहीं होने और उसका ए से डी हिस्सा पुलिस को नहीं देना बताया है। इस बात से भी इंकार किया कि मुल्जिमानों ने किशनाराम की दुकान से चोरी की हो और मुल्जिम उसके गाँव का होने से वह उसे बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। इसी प्रकार नक्शा मौका का गवाह पीडब्ल्यू–5 हीराराम पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने पुलिस द्वारा कोई मौका उसके सामने नहीं देखे जाने का कथन किया है, लेकिन एपीओ द्वारा की गई जिरह में नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 पर एक्स स्थान पर अपनी अंगूठा निशानी होना माना है, जो उससे जबरदस्ती करवाए गए हों, ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। हालांकि इसने जिरह में इस बात से इंकार किया कि पुलिस ने उसके सामने किशनाराम की दुकान में चोरी होने का मौका देखा हो और वह मुल्जिम को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। इस प्रकार परिवादी से व मुख्य गवाहान से जिरह न करना और मुल्जिमानों से बरामद सामान के संबंध में कोई बिल आदि पेश न करना तथा गवाहान के बयानों व दस्तावेजी साक्ष्यों के खंडन में कोई प्रतिरक्षात्मक साक्ष्य पेश न करना अभियोजन कहानी को पूर्णतः प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है। इसलिए अभियोजन पक्ष अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने परिवादी की दुकान में रात्रि को अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रात्रों प्रच्छन्न गृहभेदन कारित कर बेईमानपूर्ण आशय से किराने का सामान आदि चोरी किए हैं।

11. ऐसी दशा में उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपनी समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त विचारणीय बिन्दु को अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह की सीमा से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण हाकमराम, नगाराम, जोगाराम को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

12. फलतः अभियुक्तगण 1. हाकमराम पुत्र आंबाराम, उम्र 32 वर्ष, निवसी धनाउ, पुलिस थाना धनाउ, जिला बाड़मेर; 2. जोगाराम पुत्र जीवणाराम, उम्र 45 वर्ष, निवासी

केकड़, पुलिस थाना सेड़वा, जिला बाड़मेर; 3. नगाराम पुत्र धर्माराम, उम्र 32 वर्ष, निवासी नवातला राठौड़ान हाल सारणों की ढाणी, पुलिस थाना धनाउ, जिला बाड़मेर को धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन जिला बाड़मेर

<u>सजा के बिंदु पर</u>

13. उभय पक्षकारान को सजा के बिंदु पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण गरीब व नौजवान व्यक्ति हैं और उनका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण ने पूर्व में कभी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त नहीं किया है, जिसके संबंध में वे शपथ–पत्र पेश करने को तैयार हैं। अभियुक्तगण लगभग 13 वर्ष से इस लंबी विचारण (अन्वीक्षा) प्रक्रिया की पीड़ा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को कारावास से दंडित न कर, उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने सुनियोजित तरीके से सूनी रात का फायदा उठाकर परिवादी के किराणे की दुकान की खिड़की तोड़कर गल्ले से नकदी और भारी मात्रा में कीमती व्यावसायिक व खाने–पीने का सामान चोरी करने का गंभीर अपराध कारित किया है। इसलिए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ न दिया जाकर कठोर से कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया।

14. पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण हाकमराम, जोगाराम व नगाराम द्वारा रात के समय परिवादी के किराणे की दुकान की खिड़की तोड़कर अनाधिकृत रूप से अंदर प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृहअतिचार कर गल्ले से 9,500/– रुपये नकद तथा भारी मात्रा में चावल, घी, तेल, सिगरेट, बीड़ी, साबुन, चायपत्ती और अन्य व्यावसायिक किराणे का सामान बेईमानीपूर्वक आशय से चोरी करने का गंभीर अपराध कारित किया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित यह अपराध समाज में संपत्ति की सुरक्षा के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। हालांकि यह सही है कि अभियुक्तगण लंबे समय से इस प्रकरण की विचारण प्रक्रिया को भुगत रहे हैं, परंतु अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की

प्रकृति, अभियुक्तगण के उपलब्ध आपराधिक रिकार्ड, अपराध में रात्रि में चोरी के लिये 14 वर्ष तक के दण्ड के प्रावधान और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को देखते हुए इन्हें परिवीक्षा अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के तहत परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, आपराधिक रिकार्ड और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन जिला बाड़मेर

<u>दण्डादेश</u>

15. फलतः अभियुक्तगण 1. हाकमराम पुत्र आंबाराम, उम्र 32 वर्ष, निवसी धनाउ, पुलिस थाना धनाउ, जिला बाड़मेर; 2. जोगाराम पुत्र जीवणाराम, उम्र 45 वर्ष, निवासी केकड़, पुलिस थाना सेड़वा, जिला बाड़मेर; 3. नगाराम पुत्र धर्माराम, उम्र 32 वर्ष, निवासी नवातला राठौड़ान हाल सारणों की ढाणी, पुलिस थाना धनाउ, जिला बाड़मेर को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध निम्नानुसार दंडादेश पारित किया जाता हैः–

क.स.	**धारा**	**सजा**	**अदम अदायगी जुर्माना**
1	धारा 457 भारतीय दंड संहिता	3 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000/– रुपये जुर्माना	6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
2	धारा 380 भारतीय दंड संहिता	3 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000/– रुपये जुर्माना	6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

16. प्रत्येक अभियुक्त की उपरोक्त सभी मूल सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

17. प्रत्येक अभियुक्त द्वारा प्रकरण में अन्वेषण/अन्वीक्षा के दौरान पुलिस अभिरक्षा/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को मूल सजा में समायोजित किया जावे।

18. उपरोक्तानुसार सजा वारंट मूर्तिब हो।

19. साथ ही अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437ए सीआरपीसी के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु दस हजार रूपए की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्तानुसार बंधपत्र पेश करने पर नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश जमानत मुचलके स्वतः निरस्त समझे जावे।

20. प्रकरण में जब्तशुदा माल वजहसबुत का पूर्व में श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट चौहटन के आदेश क्रमांक 672 दिनांक 04–07–2015 की पालना में निस्तारण किया जा चुका है।

21. तथापि प्रकरण में किसी प्रकार की संपत्ति/माल वजह सबुत के जब्तशुदा रहने की स्थिति में उसके बाद गुजरने मियाद अपील या अपील न होने की सूरत में नियमानुसार निस्तारण करने बाबत् संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।

22. अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति अविलंब निःशुल्क दी जावे।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन, जिला बाड़मेर

23. निर्णय आज दिनांक 21.07.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौहटन, जिला बाड़मेर